भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5739
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर में गैर-सरकारी संगठनों का शामिल होना

5739. श्री जार्ज बेकरः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं जैसे कि पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता परियोजनाओं में शामिल गैर-सरकारी संगठनों सहित सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों की संख्या कितनी है; और
(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8(1) में कंपनियों के बोर्ड की रिपोर्ट में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर वार्षिक प्रकटीकरण के निर्दिष्ट प्रपत्र दिए गए हैं, जिनमें न्यास या सोसाइटी या धारा 8 कंपनियां, यदि कोई नियुक्त की गई हैं, के संदर्भ में प्रकटीकरण शामिल है। मंत्रालय की वेबसाइट (www.mca.gov.in) के पब्लिक डोमेन में वार्षिक रिपोर्टें, जिसमें कंपनियों की बोर्ड रिपोर्ट शामिल है, उपलब्ध है। मंत्रालय द्वारा संकलित कंपनियों का कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) वार नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मुख्य विकास क्षेत्र-वार पर आधारित है।

*****